	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम **U.P. POWER CORPORATION LIMITED** **(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)** **CIN:U32201UP1999SGC024928**	

संख्या1/26445/2025-कार्य/चौदह-पाकालि/2025-3-के/2000टी0सी0-2018 दिनांकः 27-09-2025

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-363-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000 टी0सी0-2018 दिनांक 22.02.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-977-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000 टी0सी0-2018 दिनांक 24.07.2020 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के पदों पर कार्यरत समस्त समकक्ष कार्मिकों को **विभागीय कार्य** हेतु **"स्वयं पोषित एवं प्रतिपूर्ति योजना"** के अंतर्गत लैपटॉप क्रय किए जाने हेतु नीति/प्रक्रिया का पुनः निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

1. कार्मिक द्वारा निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम तकनीकी विशिष्टि के अनुसार विभागीय कार्य हेतु लैपटॉप क्रय किया जाएगा, जिसका अधिकतम मूल्य ₹66,000.00 (छाछठ हजार) जीएसटी व अन्य प्रभावी कर अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। कार्मिक निर्धारित विशिष्टि से उच्च विशिष्टि के लैपटॉप को भी क्रय कर सकेंगे, परंतु प्रतिपूर्ति की सीमा अधिकतम ₹66,000.00 एवं उस पर देय जीएसटी व अन्य कर ही होगी।

S.N	Particular	Configuration
1.	Processor	12th generation Intel Core-i5 or higher Or AMD Ryzen-5 5000 series or higher
2.	RAM	Minimum 8 GB DDR4 expandable up to 16 GB with 2 DIMM slots having 1 vacant DIMM slot.
3.	Storage	512 SSD NVMe or higher
4.	Speaker, Camera & Display	Inbuilt stereo/dual speakers HD camera 14/15.6 inches LED backlit
5.	Wi-Fi, Bluetooth & Ethernet	Integrated Wi-Fi (802.11 a/ b/ g/ n) Bluetooth v5.0 or higher Gigabit Ethernet
6.	Interfaces	Minimum 2 USB (at least one should be USB 3.1) 1 Audio combo port for both Microphone and Headphone 1 HDMI port
7.	Touchpad	Multipoint Touchpad
8.	Operating System	Factory pre-loaded Windows 11 Professional or higher
9.	Battery	Lithium-ion Battery capacity (Watt Hour)-Minimum 40 Battery Backup Time (Hours) – 8
10.	OEM onsite Warranty	3 years for laptop and battery.
11.	Security	TPM 2.0 (Hardware/Firmware)
12.	Carry Case	Suitable Carry Case

2. इस आदेश की निर्गत तिथि के बाद कार्मिकों द्वारा विभागीय कार्य हेतु क्रय किए गए

लैपटॉप ही ''स्वयं पोषित एवं प्रतिपूर्ति योजना'' के अंतर्गत माने जाएंगे।

3. लैपटॉप को निर्माता अथवा उनके अधिकृत डीलर से ही क्रय किया जाएगा। लैपटॉप की तीन वर्ष की वारंटी होनी चाहिए। लैपटॉप क्रय करते समय इनवॉइस में संबंधित निगम का नाम, जीएसटी एवं पैन संख्या, कार्मिक का नाम, सैप आई०डी० एवं ऑडिट संख्या, लैपटॉप की आई.पी. संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।
4. लैपटॉप के क्रय मूल्य अथवा निर्धारित राशि (दोनों राशियों में से जो कम हो) का भुगतान, क्रय बीजक प्रस्तुत करने पर (अधिकतम राशि ₹66,000.00 तथा जीएसटी व अन्य कर की सम्पूर्ण राशि) किया जाएगा।
5. स्थानांतरण एवं प्रोन्नति की स्थिति में क्रय किया गया लैपटॉप संबंधित कार्मिक के पास ही रहेगा।
6. किसी भी कार्मिक द्वारा त्याग पत्र/सेवानिवृत्ति/अन्य किसी कारण से विभागीय सेवा से हटने/समाप्त होने की अवस्था में तत्समय माह के अंत में जो भी, लैपटॉप की बुक वैल्यू में से ह्रास घटाते हुए, के भुगतान पर लैपटॉप उसे हस्तांतरण हो सकेगा तथा हस्तान्तरित किये जाने पर वसूली योग्य राशि पर जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा एवं उससे सम्बन्धित टैक्स इनवॉइस निर्गत की जायेगी।
7. वारंटी अवधि (तीन वर्ष) समाप्त होने के पश्चात, लैपटॉप की Annual Maintenance (AMC) का उत्तरदायित्व कार्मिक का ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि लैपटॉप में कोई हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी खराबी भी उत्पन्न होती है, तो रिपेयर कराने का व्यय संबंधित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
8. क्रय किये गए लैपटॉप की उपयोगिता अवधि 06 वर्ष निर्धारित की जाती है। उपयोगिता अवधि पूर्ण होने के पश्चात् कार्मिक इसी योजना के अंतर्गत पुनः नया लैपटॉप क्रय कर सकेंगे।
9. लैपटॉप के चोरी/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, तत्समय माह के अंत में लैपटॉप की बुक वैल्यू में से ह्रास घटाकर, शेष धनराशि की वसूली सम्बंधित कार्मिक से की जाएगी।
10. कॉमन कैडर के कार्मिकों के एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण पर भुगतान क्रेता निगम द्वारा ही किया जाएगा एवं कार्मिक को लैपटॉप का पूर्ण हस्तांतरण भी क्रेता निगम द्वारा किया जाएगा।
11. यह योजना 31 दिसम्बर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।
12. लैपटॉप की प्रतिपूर्ति पूंजीगत व्यय मद (10.906) के अंतर्गत की जाएगी।

अध्यक्ष

संख्याः I/26445/2025- कार्य/चौदह-पाकालि/2025 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कॉरपोरेट प्लानिंग/आई0टी0), उ0प्र0

पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

5. निदेशक (का०प्र०/वित/तकनीकी/वाणिज्य) मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
6. अपर सचिव-I, II, III, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, समस्त डिस्कॉम एवं केस्को, कानपुर।
9. उपमहाप्रबंधक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
10. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

(फैसल खान)
उप सचिव (कार्य)